अमेरिका जाएगा प्रतिनिधिमंडल

व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए भारतीय पक्ष इसी माह जाएगा वॉशिंगटन

श्रेया नंदी

भारत और अमेरिका के बीच फरवरी में हुए अंतरिम व्यापार समझौते पर आगे की चर्चा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में वाशिंगटन जाएगा। दोनों पक्षों के बीच इस यात्रा की तारीखों पर अभी चर्चा चल रही है। कई महीनों की बातचीत के बाद भारत और अमेरिका ने फरवरी में एक 'अंतरिम व्यापार समझौते' के ढांचे की घोषणा की थी। यह समझौता दोनों देशों के बीच पारस्परिक और लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर केंद्रित है।

भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को एक्स पर कहा, 'दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिका के राष्ट्रपति की व्यापार प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर (जेमिसन) ग्रीर के साथ बेहद सार्थक बैठक हुई। अमेरिका और भारत के बीच पहले ही एक व्यापार सौदे पर सहमति हो चुकी है। हम इस महीने के अंत में वाशिंगटन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।'

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं।

विक्रम मिसरी, विदेश सचिव

उन्होंने गुरुवार को ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह इस महीने के अंत में वाशिंगटन पहुंचने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने और प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने वाशिंगटन में 'भारत-अमेरिका व्यापार सुविधा पोर्टल' की शुरुआत की। दोनों देश आपसी व्यापार को 500 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को गोर ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से भी मुलाकात की थी। क्वात्रा ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने नेताओं द्वारा तय किए गए रणनीतिक संबंधों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से चर्चा के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच आमने-सामने की यह पहली बैठक होगी। यह बैठक पहले ही होनी थी, लेकिन दो महीने पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ पर अनिश्चितता की स्थिति बन गई, जिस कारण भारतीय प्रतिनिधिमंडल की वाशिंगटन यात्रा टल गई थी।

मालूम हो कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 20 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का उपयोग कर किसी देश पर पारस्परिक टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधिकार को रद्द कर दिया था। इसके बाद ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए भारी शुल्क को समाप्त कर दिया गया और 24 फरवरी से अमेरिकी प्रशासन ने 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत का समान शुल्क लगाया था। भारत और अमेरिका ने 2 फरवरी को व्यापार सौदे की घोषणा की थी और मार्च तक इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी। इसी संबंध में 7 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इसी के साथ रूस से भारतीय तेल आयात का हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा भारत के कुछ निर्यात पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को हटा दिया गया था। अंतरिम समझौते के अनुसार अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 18 प्रतिशत तक कम करने पर सहमति व्यक्त की थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से भारतीय पक्ष ने बार-बार यह बात दोहराई कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा नई वैश्विक टैरिफ संरचना तैयार करने तक वह अंतरिम व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए इंतजार करेगा। इस महीने के अंत में होने वाली बैठक से टैरिफ पर आगे की दिशा तय होने की उम्मीद है।

(साथ में एजेंसियां)

तीनों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान

तीन राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों में मतदाताओं ने गुरुवार को उत्साह के साथ वोट डाले। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बूथों पर देर शाम तक लोगों की कतारें लगी रहीं। कहीं से भी किसी बड़ी हिंसा की खबर नहीं है और तीनों जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के रात 9 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार असम में जहां 85 प्रतिशत से अधिक का रिकॉर्ड मतदान हुआ, वहीं केरल में 78 प्रतिशत और पुदुच्चेरी में 86.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

उच्च मतदान प्रतिशत को ऐतिहासिक बताते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हमारे लोगों के चेहरों पर आशा, गौरव और खुशी के रूप में इस चुनाव का परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने दावा किया कि भारी मतदान नेतृत्व में बदलाव का संकेत दे रहा है। असम की 126 विधान सभा सीटों के लिए चुनाव में 722 उम्मीदवार मैंदान में हैं। राज्य में 2021 के चुनाव में 82.04 प्रतिशत मतदान हुआ था।

केरल में 140 सीटों के लिए 883 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पारंपरिक रूप से माकपा के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के बीच कड़ी टक्कर रहती है। इस बार भी यहां रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि मतदान का अंतिम आंकड़ा 90 प्रतिशत तक जा सकता है। यहां 2021 के चुनाव में 74.06 प्रतिशत वोट पड़े थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को राज्य में विधान सभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया।

पुदुच्चेरी में पहली बार मतदान करने के बाद उंगली में स्याही दिखाती युवती

पुदुच्चेरी 86.92%	
केरल	असम
78.00%	85.00%

केरल और असम के साथ-साथ 30 सदस्यीय पुदुच्चेरी विधान सभा के लिए भी गुरुवार को मतदान हुआ। यहां 86.92 वोट पड़े।। जहां केरल और पुदुच्चेरी में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, वहीं अधिकारियों ने बताया कि असम के दो स्थानों पर चुनाव संबंधी हिंसा हुई, जिसमें सात लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा सुबह मतदान शुरू होने के बाद असम में कई मतदान केंद्रों पर मामूली झड़पें भी हुईं। केरल, असम और पुदुच्चेरी में पहले चरण में चुनाव हुआ जबकि तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 व 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। सभी चार राज्यों के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

उपचुनाव में 68 से 82 प्रतिशत मतदान हुआ

कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड की चार विधान सभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण सीटों, त्रिपुरा के उत्तरी त्रिपुरा में धरमनगर और नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में कोरिडांग सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। चारों सीटों पर 68 से 82 प्रतिशत वोट पड़े। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गोवा में पोंडा विधान सभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना को शून्य और रद्द घोषित कर दिया था। गुजरात और महाराष्ट्र की तीन विधान सभा सीटों पर उपचुनाव 23 अप्रैल को होंगे।

एजेंसियां

ऑनलाइन खुदरा बाजार 66 अरब डॉलर पहुंचा

पीरजादा अबरार

भारत में ऑनलाइन खुदरा (ई-रिटेल) बाजार वर्ष 2025 में नए जोश के साथ आगे बढ़ा है। बेन ऐंड कंपनी की रिपोर्ट 'हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2026' के मुताबिक ऑनलाइन खुदरा बाजार में सकल व्यापार मूल्य (जीएमवी) लगभग 65-66 अरब डॉलर तक पहुंच गया जो मूल्य के लिहाज से 19-21 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। बेन ऐंड कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है।

जीएसटी दरों में में कटौती, आयकर में राहत, मुद्रास्फीति में कमी और ब्याज दरों में गिरावट के दम पर 2025 में निजी उपभोग में वृद्धि 2022-24 में दर्ज 8 प्रतिशत से बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष भारत के ई-रिटेल बाजार में अच्छी वृद्धि देखी गई है मगर व्यापक खुदरा क्षेत्र का 2030 तक 1.6 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय उपभोक्ताओं की एक बड़ी आबादी तक पहुंचने के लिए ऑफलाइन बुनियादी ढांचा अब भी अहम बना हुआ है।

बेन ऐंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर श्याम उन्नीकृष्णन ने कहा, 'पांच साल पहले भारत के ई-रिटेल कारोबार संभावनाओं पर आधारित थी मगर अब यह वास्तविकता बन चुकी है। सकल बाजार मूल्य (जीएमवी) दोगुना से अधिक हो गया है, सालाना सक्रिय खरीदारों की संख्या लगभग 30 करोड़ तक पहुंच गई है और विक्रेताओं का तंत्र

तीन गुना हो गया है जिसमें वृद्धि की अगुवाई मुख्य रूप से मझोले शहर और नई पीढ़ी (जेन जेड) कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'जैसे-जैसे भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4,000 डॉलर के उस अहम मोड़ के करीब पहुंच रही है जहां अन्य उभरते बाजारों में विवेकाधीन खर्च में ऐतिहासिक रूप से तेजी आई है वैसे ही ई-रिटेल को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। अगले पांच साल निश्चित रूप से भारत के ई-रिटेल बाजार में विकास की अगली लहर को जन्म देंगे।'

जेन जेड समूह एक महत्त्वपूर्ण समूह के रूप में उभरा है जिसकी ई-रिटेल खरीदारों में 40-45 प्रतिशत भागीदारी है। महानगरों में अन्य समूहों की तुलना में प्रति खरीदार खर्च में 2.5 गुना अधिक वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि भौगोलिक रूप से तेजी से विविध होती जा रही है जिसमें टियर 2 और उससे ऊपर के शहर 2025 में ऑनलाइन ऑर्डर में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेंगे जबकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में इनकी पैठ केवल 25-30 प्रतिशत है। मजबूत विस्तार के बावजूद भारत में ई-रिटेल की पैठ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.6 प्रतिशत स्तर पर कम ही है।

यूपीआई का एक दशक

रिकॉर्ड लेनदेन मगर सुस्त हुई वृद्धि दर

अजिंक्य कावले

देश की अपनी रियल टाइम भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई को शुरू हुए दस साल हो गए हैं। आज 45 करोड़ से अधिक भारतीय इसका उपयोग कर रहे हैं और इससे हर महीने 22 अरब से अधिक लेन-देन होता है। अप्रैल 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन द्वारा शुरू किए गए यूपीआई का उद्देश्य ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना था, जिसे बाद में केंद्रीय बैंक के पेमेंट्स विजन-2018 में भी स्पष्ट किया गया। इसकी कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल अकेले मार्च में ही रिकॉर्ड 22.64 अरब यूपीआई भुगतान हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 29.52 लाख करोड़ रुपये रहा।

इतने बड़े पैमाने पर यूपीआई के इस्तेमाल के बावजूद इसकी वृद्धि दर धीमी पड़ रही है। वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह 41.75 प्रतिशत, वित्त वर्ष 24 में 56.56 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में 56.56 प्रतिशत रही थी। यूपीआई इस्तेमाल में यह सुस्ती आधार-प्रभाव के कारण देखी गई है, क्योंकि हर महीने बड़ी संख्या में लेन-देन संसाधित किए जाते हैं लेकिन यूपीआई अभी भी काफी हद तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट से मुक्त है, जो इसके प्रसार के उद्देश्य से होने वाले निवेश के लिए प्रोत्साहनों को सीमित करता है। बीते वर्षों में यूपीआई ने विस्तार करते हुए बड़े पैमाने पर ग्राहकों के बीच पैठ बनाई है।

यूपीआई लेनदेन

वर्ष	लेनदेन	उपलब्धि
जून 2017	10.35	6
अक्टूबर 2019	1,148.46	11
अक्टूबर 2020	2,071.62	12
मार्च 2022	5,405.65	17
अगस्त 2023	10,586.02	17
अगस्त 2025	20,008.31	24

लेनदेन संख्या अरब में, उपलब्धि महीने में

यूपीआई को प्रोत्साहन

वित्त वर्ष	आवंटन	लेनदेन	वृद्धि (%)
2022	1389	45.96	105.82
2023	2210	83.75	82.22
2024	3631	131.12	56.56
2025	1922.77	185.86	41.75
2026	2196.21	241.62	30.00
2027*	2000	---	---

आवंटन करोड़ रुपये में, लेनदेन अरब में, *बजट में आवंटित राशि

शबरीमला में प्रतिबंध केवल लैंगिक आधार पर नहीं: केंद्र

भाविनी मिश्रा

केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध हमेशा महिलाओं के खिलाफ नहीं होते। सरकार ने ऐसे उदाहरण गिनाए जहां पुरुषों को भी प्रवेश नहीं मिलता। केंद्र का तर्क था कि शबरीमला मंदिर में लागू प्रतिबंध को केवल लैंगिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2018 के फैसले, जिसमें शबरीमला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, का आधार 'लैंगिक पदानुक्रम' की धारणा रही। उन्होंने कहा, 'मैंने ऐसे मंदिरों के उदाहरण दिए हैं जहां पुरुषों को प्रवेश नहीं मिलता। देवी भगवती के मंदिरों में आस्था और परंपराओं के आधार पर कुछ व्यवस्थाएं हैं। ऐसे मंदिर भी हैं जहां पुरुष पुजारियों पर महिला श्रद्धालुओं के चरण धोने का धार्मिक दायित्व है। देश के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर ब्राह्मा मंदिर में विवाहित पुरुषों के प्रवेश पर रोक है। केरल में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां पुरुष महिलाओं के वेश में जाते हैं। वे ब्यूटी पार्लर जाकर साड़ी पहनते हैं और परिवार की महिलाएं उन्हें तैयार करती हैं। वहां केवल पुरुष ही जाते हैं। इसलिए इसे पुरुष केंद्रित या महिला केंद्रित आस्था का प्रश्न नहीं कहा जा सकता। इस मामले में यह परंपरा महिला केंद्रित है।'

ये दलीलें नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष दी गईं, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत कर रहे थे। यह पीठ धार्मिक स्वतंत्रताओं से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने पूजा स्थलों में खुलेपन के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'यदि कोई कहे कि यह मेरी धार्मिक प्रथा है और केवल मेरा ही संप्रदाय मंदिर में आए, अन्य कोई नहीं तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है।'

१ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

पी.एस.बी

प्र. का. भविष्य निधि विभाग
सिद्धार्थ एन्कलेव, आश्रम चौक नई दिल्ली–110014
दूरभाष : 011–42418871 / 42418872
ई–मेल : ho.pf@psb.bank.in

जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

आर.एफ.पी (प्रस्ताव अनुरोध) सूचना

पंजाब एंड सिंध बैंक के सेवा में कार्यरत कर्मचारियों और सेवा में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए "ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी" आर.एफ.पी GEM पोर्टल (GEM/2026/B/7421614 दिनांक 07.04.2026) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आर.एफ.पी (प्रस्ताव अनुरोध) बैंक की वेबसाइट **https://punjabandsind.bank.in/** और GEM पोर्टल **https://gem.gov.in/** पर अपलोड किया गया है। आर.एफ.पी विवरण और भविष्य में किसी भी संशोधन के लिए, कृपया निम्नलिखित को रेफर करते रहें:–

https://punjabandsind.bank.in और सरकारी ई–मार्केट पोर्टल पर (GEM).

सहायक महाप्रबंधक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय बड़ौदा दो बोली प्रणाली के अंतर्गत सरकारी ई–मार्केटप्लेस जीईएम पोर्टल के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करता है। सेल्फ सर्विस पासबुक (एसएसपीबी) के मुद्रण और प्रेषण के लिए **पात्र प्रिंटरों** से 1 वर्ष की विस्तार योग्य अवधि के साथ 3 वर्ष के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक बोली आमंत्रित है।

निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज बैंक की वेबसाइट **https://bankofbaroda.bank.in** और **जीईएम पोर्टल** के निविदा खंड में उपलब्ध हैं।

निविदा दस्तावेज में संशोधन सहित किसी भी अतिरिक्त जानकारी/शुद्धिपत्र को केवल जीईएम पोर्टल और बैंक की वेबसाइट **https://bankofbaroda.bank.in** पर अधिसूचित किया जाएगा।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 05.05.2026 है।

स्थान: बड़ौदा
दिनांक: 10.04.2026

महाप्रबंधक (परिचालन और सेवाएं),
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

(4/26-27)

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

आस्ति वसूली शाखा – गाजियाबाद,
ई–52–बी, सेक्टर–09, नोएडा–201301,
फोन नं.–0120–3295465
ई–मेल– arb.ghaziabad@bankofindia.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
परिशिष्ट– IV-A
नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां हैं, जिनका **रचनात्मक/भौतिक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, 28.04.2026 (**समय** 11:00 **बजे पूर्वा. से** 5:00 **बजे अप.**) **को 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा।

ईएमडी/दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 27.04.2026 है। इच्छुक खरीदार अपना नाम **www.baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकृत करवाएंगे और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी जमा करेंगे।

बेची जाने वाली संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

क्र. सं.	शाखा तथा खाता/कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि/बकाया तथा कब्जे का प्रकार	विवरण तथा सम्पत्ति के स्वामी	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	संपत्ति वसूली शाखा, गाजियाबाद 1) मेसर्स महालक्ष्मी शीतग्रह प्राइवेट लिमिटेड. गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 2) श्री रामेश्वर सिंह पुत्र स्व. शिव गणेश गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 3) श्री संतोष सिंह पुत्र स्व. ऋषि पाल सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 4) श्रीमती लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. ऋषि पाल सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 5) श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. ऋषि पाल सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 6) श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री श्री चंद सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 7) श्रीमती फूल मती पत्नी स्वर्गीय शिव गणेश सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 8) श्री श्री चंद सिंह पुत्र भूरी सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 9) श्री मेघ श्याम पुत्र रामजी लाल गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 10) सुश्री विरमा पुत्री स्वर्गीय शिव गणेश गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) 11) सुश्री छम्मा पुत्री स्वर्गीय शिव गणेश सिंह गाँवः लोरिया पट्टी, सोंख, मथुरा (उ.प्र.) नोटः लॉट नंबर 1 की बिक्री, लॉट नंबर 2 की बिक्री के बाद ही या दोनों की एक साथ की जाएगी।	रु. 3,39,54,180/– + 09.04.2013 से अप्रयुक्त ब्याज और कोई अन्य व्यय [ये संपत्तियां बैंक के भौतिक/सांकेतिक कब्जे में हैं]	1) कोल्ड स्टोरेज की जमीन और बिल्डिंग का समस्त भाग, खाता नंबर 267, खसरा नंबर 890/3, गाँव- मौजा- लोरिया पट्टी, परगना- कोशी खुर्द, सोंख, तहसील- गोवर्धन जिला- मथुरा में स्थित, 0.7990 हेक्टेयर भूमि, श्री शिव गणेश, श्री संतोष सिंह और श्रीमती लक्ष्मी के नाम पर कंपनी को लीज पर दी गई है। सीमाः उत्तरः खसरा नंबर 890, दक्षिणः खसरा नंबर 890 का बाकी हिस्सा, पूर्वः चक रोड/कच्चा रास्ता, पश्चिमः खसरा नंबर 890 का बाकी हिस्सा।	रु. 148.65 लाख रु. 14.90 लाख रु. 1.00 लाख
			2) प्लांट और मशीनरी खाता नंबर 267, खसरा नंबर 890/3, गांव-मौजा- लोरिया पट्टी, परगना- कोशी खुर्द, सोंख, तहसील- गोवर्धन जिला- मथुरा पर स्थित, जिसका 0.7990 हेक्टेयर क्षेत्रफल कंपनी को मिस्टर शिव गणेश, मिस्टर संतोष सिंह और मिसेज लक्ष्मी के नाम पर लीज पर दिया गया है। सीमाएंः अप्रयोज्य	रु. 15.50 लाख रु. 1.60 लाख रु. 1.00 लाख
			3) गोवर्धन रोड पर प्लॉट का इक्विटेबल बंधक, खसरा नंबर 892 (पुराना) और 2132 एम (नया) लोरिया पट्टी, मौजा-सोंख, गांव – डूगरा पट्टी जिला-मथुरा क्षेत्रफल-197.40 वर्ग मीटर, सीमाः उत्तरः सोंख रोड, दक्षिणः श्री मुन्ना का प्लॉट, पूर्वः जगदीश प्रसाद की जमीन, पश्चिमः श्रीमती राजवती का प्लॉट।	रु. 31.80 लाख रु. 3.20 लाख रु. 1.00 लाख
			4) खाता संख्या 186 खसरा संख्या 296ए, मौजा-गांव- लोरिया पट्टी, रतन गार्डन के पास, गोवर्धन- सोंख-मंगोरा रोड, जिला-मथुरा-281123 पर आवासीय प्लॉट का इक्विटेबल बंधक, क्षेत्रफल-690.00 वर्ग मीटर। सीमाः उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः सोंख रोड, पूर्वः रास्ता फिर जीवा राम का मकान, पश्चिमः अन्य भूमि।	रु. 32.70 लाख रु. 3.30 लाख रु. 1.00 लाख
			5) गोवर्धन रोड पर स्थित व्यावसायिक संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, खसरा संख्या 2129 और 2130 का हिस्सा, मौजा- सोंख/डूंगरा पट्टी जिला- मथुरा क्षेत्रफल-418.00 वर्ग मीटर, सीमाः उत्तरः सोंख रोड, दक्षिणः मुन्ना का प्लॉट, पूर्वः जगदीश प्रसाद का प्लॉट, पश्चिमः ठेका देसी शराब का प्लॉट।	रु. 99.50 लाख रु. 10.00 लाख रु. 1.00 लाख
			6) लोरिया पट्टी, पोस्ट- सोंख, तहसील- गोवर्धन, जिला- मथुरा में स्थित आवासीय संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, क्षेत्रफल-590. वर्ग मीटर सीमाः उत्तरः श्री नाथी का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः रामवीर और करण का प्लॉट आदि।	रु. 18.79 लाख रु. 1.90 लाख रु. 1.00 लाख

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबरः कैलाश कुमार सागर, मोबाइल नंबरः 9506722936

नियम और शर्तें: 1. नीलामी बिक्री/बोली केवल **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन बोली प्रक्रिया" के माध्यम से होगी।
2. ई–नीलामी की तिथि और समय 28.04.2026 (11.00 पूर्वाह्न से 05.00 अपराह्न तक प्रत्येक 10 मिनट के ऑटो-एक्सटेंशन के साथ) है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 27.04.2026 है।
3. नीलामी बैंक की वेबसाइट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को संपत्ति के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों/वृद्धिशील मूल्य में एक साथ अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य और पहले वृद्धिशील मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **www.baanknet.com** पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें और उसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार वेबसाइट पर अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी जमा करेंगे।
5. संपत्ति सभी मौजूदा या भावी ऋणभार (यदि कोई हो) के साथ बेची जाएगी। अधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार/दावे या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के स्वामित्व, वैधानिक देयता/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। संपत्तियों को **www.baanknet.com** वेबसाइट पर लॉगिन करके देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए बैंकिंग कार्य समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
7. सफल बोलीदाता/क्रेता को संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस (यदि बिक्री मूल्य 50/- लाख और उससे अधिक है) सहित सभी करों का भुगतान करना होगा और ऑनलाइन बिक्री के संचालन के लिए सेवा प्रदाता को देय करों का भुगतान करना होगा। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
8. असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए ईबिक्रे/बैंकनेट से स्वयं संपर्क करेंगे। अधिकृत अधिकारी ईएमडी की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
9. अधिकृत प्राधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उन्हें किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आस्थगित/रद्द करने या किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी की कार्यवाही से वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10. बिक्री प्रमाण-पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा तथा किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों के अंत से पहले पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित बिक्री मूल्य का 25% तथा बिक्री मूल्य का शेष भाग बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा तथा चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट पर पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता रखते हैं, वे ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** में दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोटः सभी इच्छुक बोलीदाता 10.04.2026 से 27.04.2026 तक बैंक के कार्य समय के दौरान एओ/शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं/साइट का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद या उल्लिखित तिथि से पहले साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **https://www.bankofindia.co.in / https://www.baanknet.com** पर दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

तिथि : 06.04.2026, स्थान : नोएडा

अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया